न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 02 /2024 तारीख रजू. 02.01.2024

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2024/4

उनवान

श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी हरदयाल शर्मा जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी गूंडिया हाल निवासी नईमंडी के पीछे हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

---सायल

बनाम

वासुदेव पुत्र रामविलास वगै0 जाति जाट निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

---गैरसायलान 05

दिनांक	फर्द अहकाम
02-01-2024	आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री पी.एल.गोयल एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। सायल को बेदखल नही करने, अवैध रूप से रास्ता नही निकालने, मजाहमत मदाखलत नहीं करने, शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने हेतु गैरसयाल को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1127 वाकग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन में आगामी तिथी तक रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 29.01.2024 को पेश हों। (सुरेश कुमार हरसोलिया) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौल
29/1/24	पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगन किया गया है अत. पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 2-2-24 को पेश हो।
13/2/24	पत्रावली आज [illegible] तलबी [illegible] पर पेश हुई। सायल व सायल [illegible] मजमून कराया [illegible] है। सायल [illegible] करना चाहता है। अत: मु.नं. 02/2024 पुष्पादेवी बनाम वासुदेव वगैरह [illegible] में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] कुमार [illegible] नम्बर से जमा हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.02.22 12:36:08 IST
Reason: SelfAttested